UPSN040220942022

Presented on : 21-12-2022
Registered on : 22-12-2022
Decided on : 29-07-2026
Duration: 3 Ys, 7 Ms, 8 days

न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0) प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर।
उपस्थितः– अंशुमान, (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
J.O. code-UP03763
परिवाद संख्या– 18965 सन् 2022
राजकुमार बनाम शिवचन्द आदि।
धारा– 149,323,504,406 भा०दं०सं०
थाना–औराई, जिला–भदोही।

दिनांकः–29.07.2026

1. पत्रावली लंच बाद पेश हुई। परिवादी उपस्थित। अभियुक्तगण जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि आदेश दिनांकित 16.03.2023 के द्वारा अभियुक्तगण शिवचन्द विश्वकर्मा, विष्णु विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, सुशीला, नीलम विश्वकर्मा व मनोज विश्वकर्मा को अन्तर्गत धारा 149, 323, 504, 406 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु तलब किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी अपनी जमानत कराई जा चुकी है। पत्रावली परिवादी साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 पर नियत की गई।

2. परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे साक्षी पी0डब्लू01 रीता देवी पत्नी स्व0 राजकुमार प्रस्तुत किया गया। परिवादी की ओर से अन्य किसी साक्षी को अंतर्गत धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी द्वारा परिवादपत्र के आदेश पत्रक पर यह पृष्ठांकित किया गया है कि उन्हे अब इस स्तर पर और कोई साक्ष्य नही देना है।

3. धारा 245(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधानित है कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह धारा 244 के सबूतों के पहले भी आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है,यदि उसे लगता है कि शिकायत आधारहीन है। परिवादी द्वारा आरोपित अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा–245 दंड प्रक्रिया संहिता मे दी गई शक्तियों के अधीन, न्यायालय का मत यह है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप बनाए जाने हेतु कोई भी साक्ष्य परिवादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त अभिकथनों के अनुसार समस्त तथ्यों व परिस्थियों को मददेनज़र रखते हुए अभियुक्तगण को उन्मोचित किए जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

4. अभियुक्तगण शिवचन्द विश्वकर्मा पुत्र महाबली, विष्णु विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा पुत्रगण शिवचन्द विश्वकर्मा, सुशीला पत्नी शिवचन्द विश्वकर्मा, नीलम विश्वकर्मा पुत्री शिवचन्द विश्वकर्मा व मनोज विश्वकर्मा पुत्र स्व0 बनवारी निवासीगण ममहर बाजार, चौरी, जिला भदोही को धारा–245(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किए जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 29.07.2026

(अंशुमान)
अपर सिविल जज (जू०डि०)प्रथम/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,भदोही–ज्ञानपुर।
J.O. code-UP03763

Digitally signed by ANSHUMAN
Date: 2026.07.30 16:15:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court